12.58 hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SECOND REPORT

SHRI D BASUMATARI (Kokrajhar) : I beg to present the Second Report of the Joint Committee on Office of Profit on the Draft Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1971

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H MOSHIN) On behalf of Shri Ram Niwas Mirdha, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the speedy trial of certain offences in certain areas and for matters connected therewith

MR SPEAKER . The question is

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the speedy trial of certain offences in certain areas and for matters connected therewith"

The motion was adopted

SHRI F H. MOSHIN I introduce the Bill.

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F H MOHSIN) On behalf of Shri Ram Niwas Mirdha, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

MR. SPEAKER . Motion moved

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) . अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पेश किये जाने का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने आप को सूचना दी है, मैं इस समय विधेयक के ब्योरे मे नही जा रहा हू, उसके गुण और दोषो की चर्चा नहीं कर रहा हूं यद्यपि मैं जानता हूं कि यह विधेयक बडा शरारतपूर्ण है और यह साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये नही लाया जा रहा है, यह मुस्लिम संगठनो के विरुद्ध नही है । इसके अन्तर्गत केवल हिन्दू संगठनो के खिलाफ कार्यवाही की जायगी, इसके विरुद्ध हम सदन मे भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेगे ।

लेकिन यहा मैं दूसरी बात कह रहा हू । एक तरीका बन गया है—आप द्वारा दिये गये निर्देशो और सदन द्वारा पारित नियमो के खिलाफ मंत्रियो को विधेयक पेश करने की इजाजत देने का/आप डायरैक्शन्ज के नियम 19(ए) को देखे—

> "A Minister desiring to move for leave to introduce a Bill shall give notice in writing of his intention to do so "

आगे कहा गया है—

> "at least seven days "

अर्थात् इसके लिये सात दिन का नोटिस होना चाहिये ।

अब इस विधेयक को मैंने देखा—इस पर श्री आर० एन० मिर्धा जी के दस्तखत है और दस्तखत के साथ 27 मई की तारीख दी गई है । स्पष्ट है कि सात दिन का नोटिस पूरा नही किया गया ।

अध्यक्ष महोदय · इसे मैंने एलाउ किया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर आप एलाउ करते जा रहे हैं तो फिर ये नियम बनाये क्यो गये हैं । यदि आप अपने अधिकारों का इस तरह से उपयोग करेंगे तो नियमों की यह पुस्तिका रद्दी की टोकरी मे फेंकने लायक हो जायगी । अभी उस दिन आप ने शिक्षा मंत्री जी को विधेयक

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2 dated 31 5.72